फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बी0ओ0बी0 शाखा धौलपुर बनाम बबीता सिंघल

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ...37... सन् 2019

RCMS No. 2019/000

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
09.08.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री वीरेन्द्र कुमार बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता श्रीमती बबीता सिंघल पत्नी श्री राजेश कुमार सिंघल निवासी जी-1-22-बी रीको इन्ड्रस्ट्रियल एरिया धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 21.03.2017 को टी0एल0 12,82,750/- रूपये मात्र (बारह लाख ब्यासी हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) एवं सी0एल0 7,17,250/-रूपये मात्र (सात लाख सत्रह हजार दौ सौ पचास रूपये मात्र) कुल योग 20,00,000/- रूपये मात्र (बीस लाख रूपये मात्र)का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि जी-1-22-बी रीको इन्ड्रस्ट्रियल एरिया धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसका एरिया 521 वर्ग मीटर है। जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:- पूर्व में रोड़, पश्चिम में प्लॉट संख्या जी-1-21, उत्तर में प्लॉट संख्या जी-1-07, दक्षिण में प्लॉट संख्या जी-1-22ए है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 30.05.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 7,33,384/- रूपये मात्र दिनांक 30.05.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत	546-548 9.8.19

निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि जी–1–22–बी रीको इन्ड्रस्ट्रियल एरिया धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसका एरिया 521 वर्ग मीटर है। जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:– पूर्व में रोड़, पश्चिम में प्लॉट संख्या जी–1–21, उत्तर में प्लॉट संख्या जी–1–07, दक्षिण में प्लॉट संख्या जी–1–22ए है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर